

# Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेड) जीधपुर CNR NUMBER .....

Number of Case ..... A/300/ Year 2023

श्री. क. र. ०२/१९ Versus रुहेला कुमारी  
 बन्तगिर धारा 212 RTA

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of comp of the Order
20/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई।                      वाली/बेटी/पत्नी अधिकांशता आदि/अनुपस्थित।                      पत्रावली में आज कोई प्रार्थी कार्रवाई नहीं होने के कारण                      हस्ता प्रकृत पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/6/24 को पेश हो।</p>	
05/06/24	<p>पत्रावली पेश। वकुलाम उपा। शमस्त प्रार्थीगण की तलबी पूर्ण हो चुकी है। अपार्थी सं. 01 की ओर से पूर्व में जवाब पेश। प्र. पत्र पर उन्नयपत्र बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 06/06/24 को पेश हो।</p>	
06/06/24	<p style="text-align: center;"><b>प्रतिपक्ष</b></p> <p>पत्रावली पेश। उन्नयपत्र बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी अचि- रव सं. 739/1 (10 बीघा 10 बिस्वांशी) भूमि को पेपी देवी, चुकी देवी ने दिनांक 17/06/05 को गिरधारीराम, ओमप्रकाश, हगनी देवी से जरिद घंजीबदु बैयनामा स्वरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त हस्तांतरण का इंड्राम M. No. 1263 दिनांक 12/07/05 को राजस्व record में हुआ। दिनांक 07/11/16 को पेपी देवी के फौत होने के पश्चात विरासतन M. No. 8369 दिनांक 05/12/22 से वारिसान का नाम दर्ज हुआ। पेपी देवी के वारिसान द्वारा अपने 1/2 हि. (05 बीघा 05 बिस्वांशी) का बैचान दिनांक 23/01/23 को प्रार्थी के पत्र में किया गया। दिनांक 01/02/23 को चुकी देवी द्वारा अपने 1/2 हि. का बैचान प्रार्थी के पत्र में किया गया। कब्जा प्रार्थी</p>	

# Order Sheet (Subsequent)

सहायक कमिश्नर (फार्लू के) जिला  
CNR NUMBER .....

Number of Case ..... A/300/ Year 2023 .....

शंकरलाल Versus सुरवीर कुमार  
31/05/2023 - 212 RTI

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>का सुपुर्द किया गया। उक्त का राजस्व record में दिनांक 10/04/23 को M. no. 8369 द्वारा इंद्राज किया गया। दिनांक 25/07/23 को प्रार्थी द्वारा स्वरीदशुदा भूमि की चारदीवारी करते समय अप्रार्थी सं. 01 के agents द्वारा फखलमंदाजी की गई। अतः अप्रार्थी सं. 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के उपयोग- उपभोग में फखल भा. करें।"</p> <p>मुताबिक बटल अचि. अप्रार्थी- ख. सं. 739/1 का बंधान दिनांक 25/02/10 को चुकी देवी, पेपी देवी द्वारा जरिए इकरारनामा संपूर्ण प्रतिकूल प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 01 के पत्र में किया गया जिस पर पेपी देवी के वारिसान के हस्ताक्षर हैं। उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्राप्त कर लिया गया। विवादित भूमि की स्वतंत्र चुकी देवी द्वारा गुलाबसिंह राजावत को दिये गये power of attorney के जरिए ख. सं. 739/1 का बंधान (42 डि) दिनांक 23/02/23 को अप्रार्थी सं. 01 के पत्र में किया गया। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा वर्ष 2010 में ख. सं. 739/1 की चारदीवारी की गई। प्रार्थी द्वारा चार-दीवारी को नुकसान पहुँचाने पर FIR दर्ज करवाई गई। पिन कब्जे-कारत किया गया बंधनामा शून्य है। अतः प्रा.पत्र स्वारिज. फरमाया जावे।"</p>	

# Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर (काले २६) जीवापुर CNR NUMBER .....  
Number of Case ..... A/800/ ..... Year 2023  
श्री. श्री. ल. ल. ल. Versus सुरीश कुमार  
संवत् २०२३ चक्र २१२ RTA

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of case of the Order
	<p>Rebuttal में अचि. प्रार्थी द्वारा बताया गया कि "power of attorney निष्पादित करने वाले पत्रकार के फॉट होने के पश्चात उसका प्रयोग गैर-कानूनी है। अप्रार्थी सं-०१ द्वारा वर्ष २०१० में agreement हो जाने के बाद १३ वर्षों तक registry नहीं निष्पादित की गई।"</p> <p>उक्त के संदर्भ में अचि. प्रार्थी सं-०१ द्वारा बताया गया कि "विवादित भूमि JDA के green belt में आ जाने की वजह से conversion नहीं कराया जा सकता था, अतः registry नहीं करवाई गई।"</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आचार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-</p> <p>citations presented by Adv. App as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suraj Lamp vs state of Haryana - H' Supreme Court judgement - "No immovable property can be legally transferred through a General Power of Attorney, it can only be transferred by a registered deed of conveyance."</li><li>2. Lanka Puri Grah Nirman vs Raj Gauh Sewa Sangh - H' Raj High court judgement - "Agreement to sell does</li></ol>	

FORM No. 123  
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

# Order Sheet

CNR NUMBER .....

Court of 1412105 कोच नगर (काठंडे) at जोधपुर

Kind of the Case 212 R.T.A (1955)

Number of Case A/300/ Year 2023

शंकर लाल

Versus

सुरेश कुमार

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>not create any right on immovable property."</p> <p>3- Alta Sidda Reddy vs Busi Subba Reddy. H' Supreme Court judgement - "Two sale deeds - sale prior in time prevails."</p> <p>उपरोक्त judgements की light में एवं agreement एक अपंजीकृत दस्तावेज होने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जावेगा। चूंकि प्रार्थी recorded खातेदार है, अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय सति प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अग्रार्थी सं. 01 को पाबंद किया जाता है कि ख.सं. 739/1, (10 बीघा 10 बिहवांबी) भूमि में प्रार्थी के उपयोग, उपजोग में बाधा ना करे। विवादित भूमि के record की नी यथास्थिति बनी रहे। आदेश पढ़कर सुनया गया। पत्रावली फैसल कुमार होकर राविल-दफ्तर ही।</p> <p>Phinchi उपस्थक कलक्टर (जस्ट ड्रेक) जोधपुर</p>	

